प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्धित है। यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

सरकारी कम्पनियों के लेखे (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं एवं सीएजी अपनी टिप्पणी देतें हैं या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को अनुपूरित करतें हैं। इसके अतिरिक्त, ये कम्पनियाँ सीएजी द्वारा की जाने वाली नमूना लेखापरीक्षा के अधीन होती हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था सम्बन्धित अधिनियमों जिनके तहत ये निगम स्थापित किये गये हैं, के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है।

इस प्रतिवेदन में सात अध्याय हैं, अध्याय-I में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन सम्मिलित है। अध्याय-II में सीएजी की निरीक्षण भूमिका। अध्याय-III में निगमित अभिशासन सम्मिलित है। अध्याय-IV में भारतीय लेखा मानकों में पारगमन तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर इनके अंगीकरण का प्रभाव सम्मिलित है। अध्याय-V में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है। अध्याय-VI में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। अध्याय-VII में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उन लेखापरीक्षा दृष्टान्तों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2022-23 में की गयी नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए एवं वे जो गत वर्षों में संज्ञान में आए थे परन्तु उनका उल्लेख गत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नहीं किया जा सका था। वर्ष 2022-23 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्तों को भी, जहाँ सम्बन्धित एवं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।